Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY-CHAIRMAN: Now, we have three more important Bills – The President's Emoluments and Pension (Amendment) Bill, 2008, the Vice-President's Pension (Amendment) Bill, 2008, and the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2008.

Mr. Minister, I suggest you to move all the three Bills together so that we can take up consideration of three Bills together.

The President's Emoluments and Pension (Amendment) Bill, 2008;

The Vice-President's Pension (Amendment) Bill, 2008

and

The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2008

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DR. SHAKEEL AHMAD): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the President's Emoluments and Pension Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I also move:

"That the Bill further to amend the Vice-President's Pension Act, 1997, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I also move:

"That the Bill further to amend the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

सर, भारत के राष्ट्रपति का पद हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इस पद को जो भी ग्रहण करते हैं, जब वे office demit करते हैं या जब उनका रिटायरमेंट होता है, तो वे पेंशन एवं कुछ निश्चित सुविधाओं के अधिकारी होते हैं। पहले उनकी मासिक सैलरी लगभग-लगभग 50,000 रुपए थी, जिसे सरकार ने विचार-विमर्श के उपरांत बढ़ा कर 1,50,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। जो भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, अगर वे स्वयं नहीं रहे तो उनके जो स्पाउस हैं, उनको मकान एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में भी सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं, जिसे हमारे स्वास्थ्य विभाग, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एवं वित्त मंत्रालय से सहमति के पश्चात् तय किया गया है। इस पद के साथ जो मर्यादा जुड़ी हुई है, उसको देखते हुए, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति एवं वर्तमान राष्ट्रपति हैं, सरकार ने उनके मंथली इमॉल्यूमेंट्स में वृद्धि करने का फैसला लिया है।

राष्ट्रपति पद, हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और एक तरह से आज की जो स्थितियां एवं परिस्थितियां हैं, सरकार ने उनके अनुरूप उनकी सैलरीज़ को बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम सदन से आग्रह करेंगे कि उस दिशा में अगर सर्व सम्मति से ही इस बिल को पास किया जाए तो बहुत उचित होगा।

सर, एक दूसरा बिल भी इसके साथ है। वह यह है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके पेंशन का और उनके जो स्पाउज़ हैं, अगर वे नहीं हैं तो उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें थोड़ी बढ़ोत्तरी की है। उसके साथ ही जो

राज्यपाल हैं, पहले उनकी तनख्वाह लगभग 36 हजार रुपए हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर 1 लाख 10 हजार किया गया है और उनका जो पेंशन है, उसकी रकम उनकी तनख्वाह का आधा किया गया है, जिससे उनको तनख्वाह जो मिलेगी उसका आधा पेंशन मिलेगा। इसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति जो हुआ करते हैं, उनके एक्स होने के बाद उनकी पत्नी या पति, स्पाउस को मकान की सुविधा तथा कुछ और सुविधाएं जैसे - गाड़ी का, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस का, जो बात होती है, उसकी जो राशि है, वह थोड़ी बढ़ाई गई है। हम समझते हैं कि यह देश हित में है। देश के ये बड़े उच्च पद हैं, संवैधानिक पद हैं, जिनकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। हम रिक्वैस्ट करेंगे, सदन से अपील करेंगे कि इन तीनों बिल्स को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा की जाए, ताकि इन्हें लोक सभा को रिटर्न किया जा सके।

The questions were proposed.

श्री उपसभापति: श्री एस.एस. अहलुवालिया।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति महोदय, मैं The President's Emoluments and Pension (Amendment) Bill, 2008; The Vice-President's Pension (Amendment) Bill, 2008; and The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2008 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं सोच रहा था कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो हमारे संविधान के संरक्षक हैं, उनकी तनख्वाह या उनके पेंशन के बारे में हम सदन में डिस्कस करते हैं। अगर इसका कोई और रास्ता निकाल लिया होता, तो शायद बेहतर होता। उनकी तनख्वाह के बारे में यहां डिस्कस नहीं करके अगर इसकी कोई अथॉरिटी बन जाती, वहां पर इसका निर्णय होता तो वह बेहतर होता। पर जो प्रथा, जो पुराने बिल चले आ रहे हैं, जो पुराने एक्ट चले आ रहे हैं, वे 1951 के बने हुए हैं, उसके तत्त्वाधान में आज संशोधन लाने के लिए बात कही गई है। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक प्रेसिडेंट जब रिटायर हो जाता है - जब से देश आजाद हुआ और ...(**व्यवधान**)... जब से देश स्वाधीन हुआ और जब से राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब से 13 से 14 बार राष्ट्रपति बने हैं। उन 14 राष्ट्रपतियों में से आज जो जीवित हैं, वे प्राक्तन राष्ट्रपति तीन या चार हैं और at a time इतने ही रहेंगे। पर जब हम उसके बारे में निर्णय लेने लगे कि उनको कितनी जर्नी मिलनी चाहिए और जर्नी में भी हमने जो प्रावधान रखा, तो क्या रखा, "To travel anywhere in India, in a calendar year, up to 12 single journeys by the highest class by air, rail or steamer, accompanied by a companion or a relative." यह स्टीमर का मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में बहुत ज्यादा स्टीमर चलते हैं, क्योंकि यह ब्रिटिश टाइम से बना हुआ गवर्नर जनरल का जो रूल है, उसी को हम उसी तरह से अमेंड करते हुए बढ़ाते जा रहे हैं। न तो वह दिल्ली से स्टीमर से चेन्नई पहुंच सकते हैं, न दिल्ली से वह स्टीमर से पटना पहुंच सकते हैं, न गुवाहाटी पहुंच सकते हैं और न ही मुम्बई पहुंच सकते हैं। तो यह सोचने की जरूरत है कि हम क्या करें और फिर हम उनको क्या दे रहे हैं? महोदय, मैं इस पर आपका ध्यान चाहूंगा। उसमें लिखा है "12 सिंगल जर्नीज" और 12 सिंगल जर्नीज का मतलब होता है कि to and fro six journeys. महोदय, 6 जर्नीज का मतलब दो महीने में 1 जर्नी, मतलब यह कि रिटायरमेंट के बाद कमरे में बंद रहिए बाहर मत निकलिए। महोदय, जो हमारा राष्ट्रपति रह चुका है, हम उसके साथ यह अन्याय कर रहे हैं? महोदय, जिसके लिए एयर फोर्स का प्लेन, सब से टॉप मोस्ट एयर फोर्स 1 जिसके लिए लगा रहता था और वह अकेला नहीं उसके साथ 400 लोग चलते थे, उसके लिए अभी हम कहते हैं, one companion or a relative. That means, he is an attendant. He is either a PA or a CA or a relative. कांफीडेंसियल असिस्टेंट, प्राइवेट असिस्टेंट या रिलेटिव -

हो सकता है कि उनकी वाइफ हो। रिटायरमेंट के बाद उनको यह व्यवस्था चाहिए तो क्या मैं समझूं कि ये 12 जर्नीज़ सही हैं? महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में आश्वासन चाहूंगा कि इसमें सुधार लाइए। महोदय, हमारे विद्वान साथी श्री दिग्विजय सिंह जी और राजनीति प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि ये जर्नीज़ unlimited होना चाहिए। मैं आप पर इतना ज्यादा भार नहीं डालना चाहता, किंतु ये 12 जर्नीज़ नहीं चलेंगी।

महोदय, इसी तरह से उप राष्ट्रपति जी के बारे में भी कहना चाहूंगा कि उनका भी वही हाल है और उपराष्ट्रपति के बिल में तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि जर्नीज मिलेंगी। महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय को आज तक जो मिलती हैं वे through administrative order मिलती हैं और वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप उनको एक प्रोटोकॉल ऑफिसर भी नहीं देते। जो व्यक्ति राज्य सभा का, हमारे उच्च सदन का चैयरमेन रहा हो, उनमें से भी अब कितने लोग रह गए हैं? अब तक 14-15 व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने हैं और उनमें से भी दो-तीन रहे होंगे, उनके बारे में भी हम ऐसा प्रावधान रख रहे हैं। और तो और उनकी डेथ के बाद उनके स्पाउज के बारे में आपने लिखा है, "The spouse of a deceased Vice-President is entitled to an unfurnished accommodation without maintenance." अब बताइए, एक उपराष्ट्रपति जो हमारे सिटिंग चैयरमेन रह चुके हों, वह रिटायर हो गए तो उनकी विधवा के लिए आप कहते हैं कि accommodation सरकारी देंगे और जब accommodation सरकारी देंगे तो क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. उसको maintain नहीं करेगी, उसमें पर्दे नहीं लगाएगी, उसमें जो furnishing करनी है जैसे सोफा सेट देना, डाइनिंग टेबल देना, बेड देना - क्या ये नहीं देंगे? आप चाहें तो उसकी एक value लगा दीजिए कि 4-5 लाख का furnishing होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा, किंतु सरकारी मकान unfurnished and unmaintainable नहीं होगा। आप उसका maintenance नहीं करेंगे, उसका रंग-रोगन नहीं होगा, हॉर्टीकल्चर डिपार्टमेंट का कर्मचारी उसमें फूल नहीं लगाएगा? महोदय, हमारे यहां "लुटियंस की देहली" में 70-75 साल पुराने मकान हैं। दो बरसात निकालते नहीं। बरसात के बाद ठंड के दिनों में अगर उसका प्लास्टर करा लीजिए, तो सारी ठंड में ठंड में अंदर मरते रहिए। अगर बारिश के पहले ठीक करा लीजिए, तो प्लास्टर झड़ कर नीचे आ जाएगा। आप कहते हो कि उसको हम ऐसा मकान देंगे, जिसको फर्निश्ड नहीं करेंगे, जिसको मेंटेन नहीं करेंगे। क्यों? तो यह बिल लाने की जरूरत क्या थी? यह तो कम से रहता कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। अब इस बिल के माध्यम से सारी दुनिया को यह पता लगा कि आप इनकी इतनी इज्जत करते हैं।

महोदय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के माध्यम से रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट को कार है, आप कार नहीं देते हैं। जिसको "जेड" केटेगरी है, जिसको सिक्युरिटी का है, पुलिस के कहने पर कार देते हैं। आप एक सरकारी गाड़ी नहीं दे सकते। आप उनको सरकारी गाड़ी दीजिए, उसको मेंटेन करिए, उसमें बांधिए, ठीक है कि महीने में इतना तेल देंगे। आप सारा स्टाफ दे रहे हैं, ड्राइवर दीजिए। इसके बाद सुरक्षा का सवाल आता है, यह सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा है कि now these people, these retired Presidents and Vice-Presidents, are treated as soft targets.

कल को अगर ये निशाना बन गए, तो बहुत बड़ी न्यूज है।

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): किडनैप हो गए, तो?

श्री एस.एस. अहलुवालिया: अगर निशाना बनें, तो निशाना बनने का मतलब यह नहीं कि गोली मार दी जाए। निशाने का मतलब है कि अगर वे टारगेट हो गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: देश की तमाम सीक्रेट बातों को वे जानते हैं। अगर उन्हें कोई पकड़ कर ले गया, तो क्या होगा?

श्री एस.एस. अहलुवालिया: महोदय, राष्ट्रपति, जो कि देश का कमांडर इन चीफ रहा है, न्यूक्लीयर वीपन की चाबी किसके पास है, उसको मालूम है, हमारी आर्मी में क्या-क्या असला है, उसको मालूम है, रॉ का आदमी और आईबी का आदमी उनको रिपोर्ट करता है। वाइस प्रेसिडेंट, उनको आईबी का आदमी रिपोर्ट करता है, रॉ का आदमी रिपोर्ट करता है और उनको भी सारी चीजों का मालूम होता है और उनको आप सोफ्ट-टारगेट बनाकर छोड़ दें रहे हैं अनफर्निश्ड, अनमेंटेंड हाउस के लिए कि उनकी बेवा ऐसे रहेगी या वे बिना कार के रहेंगे, बिना जर्नी के रहेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: बस में चलेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: बस में चलें, या ग्यारह नंबर की गाड़ी में चलें, ग्यारह नंबर की गाड़ी, मतलब पैदल चलें। तो इन चीजों की ओर जरा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे दिल की इच्छा तो यह थी कि आज आपको गुजारिश करूंगा कि यह बिल आज वापस भेज दिया जाए और मंत्री महोदय को कहा जाए कि अमेंडमेंट लेकर आ जाओ, क्योंकि यह तो आदमी को यह बताने के लिए बिल लाया गया कि जो कुर्ता तुमने पहना है, वह फट गया है, उसकी सिलाई नहीं होगी। ...(**व्यवधान**)... अब अगर नया न मिले, तो कम से कम उसको ठीक करवा दीजिए, ड्राय-क्लीन करवा दीजिए।

महोदय, मेरा यह कहना है कि मैं कहता हूं कि इन चीजों पर गौर फरमाया जाए और इन चीजों को मद्देनज़र रखते हुए जर्नी बढ़ाई जाएं, जर्नी को बिल में लाया जाए, क्योंकि वह मेंडेटरी बनाई जाएं, इसका प्रावधान रहे, गाड़ी का प्रावधान रहे और यह 12 जर्नी is not acceptable. क्या मंत्री महोदय सदन को यह एस्योर करेंगे कि वह यह सारा प्रावधान लाएंगे? धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह: मंत्री महोदय, कुछ बोलेंगे इस विषय पर?

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। जब दूसरे मैम्बर्स भी इस पर विचार रख देंगे, उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I fully support this Bill. The President of India represents the whole nation, and his or her tours to the foreign countries, national capital and other places of India very much represent the entire India. Therefore, when we are discussing his emoluments I feel that it has to be the highest one in our nation. Nobody aspires for this post on the basis of salary or emoluments. Everybody feels it the greatest opportunity to represent the whole nation and he is also the Commander-in-Chief of all the three Forces. Therefore, we have to create a big structure through various aspects not only for the protection of Rashtrapati Bhawan, but also for other facilities. It is the top-most post in India. With globalisation, salary reflects the quantum of work the person is doing or that post holder is doing. We have to develop that type of thinking. When the Constitution was framed, we never thought of money and other aspects. I would like to quote the US President. He has a lot of restrictions along with benefits. I read in one newspaper that the elected President, Obama, wants to send his daughter ten days before to the White House to further her studies, but that was not allowed because they want to keep

the incumbent. It means that the person who is already in the office wants to be there till 14th January. That much of prestige they are giving to the President. Therefore, we have to give that reflection in the emoluments also. Instead of having these types of Bills on the basis of Pay Commission Report, I feel that that should be totally separate. It should be something, which should be considered in every three years or five years without following any Committee's or Commission's report. It is the prestige which we are giving to the Office; it is the prestige which we are giving to a particular individual. That type of attitude should be shown. I feel that it is high time for us to think about it. We need not debate this every time here and there and telling what are the reasons behind it. Now I come to aspects relating to office facilities, facilities after retirement and how he should be treated after retirement. Nowadays the President of India is becoming a very popular person also. Once it was a very confined Presidentship. But now he participates in mass rallies, mass meetings, addresses people and goes here and there. These types of things are happening. In one way, we should appreciate it. He is, however, the Constitutional head, but more popularity and focus is given to the Prime Minister. But, at the same time, we are focussing as a democratic head not as a monarchy. Therefore, I feel that these emoluments and, salaries which are fixed now are much less. I feel that it has to be enhanced and it has to be at par with the private sector where the Chief Executive is getting higher salaries. Similarly, all the Ministers and the Prime Minister should also get higher salaries. They are not coming for the job on the basis of salary but for the service that they are doing. They are doing it 24x7. Therefore, we have to treat them like that, not as a thing which is to be enhanced by way of debate. With this, I fully support all the three Bills.

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, इस बिल को लाने के लिए मैं जहां एक ओर मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, वहीं दूसरी उनको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी दो बार भारत के राष्ट्रपति थे और जब उन्होंने अवकाश प्राप्त किया तो उनके पास रहने का कोई घर नहीं था। पटना का जो कांग्रेस का मुख्यालय था - सदाकत आश्रम, वहां पर उनके लिए कमरा बनाया गया और उसी कमरे में जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस बिताई। इन पदों पर बैठा हुआ आदमी कितना त्यागी और तपस्वी होता है, उसका उदाहरण डा. राजेन्द्र प्रसाद से प्रारम्भ हुआ और बाद के दिनों में भी इन लोगों की अपनी एक दास्तां रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे - श्री गुलजारी लाल नंदा, हमने उनको एक कमरे में रहते देखा और वे दुनिया से चले गए, किसी को पता भी नहीं चला कि वे दुनिया से गए या रहे। तो यह सादगी भरे जीवन का इतिहास है इन उच्च पदों पर रहने वालों का। अहलुवालिया जी ने जिन बातों को कहा, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इन लोगों को हमने इतनी सुविधाएं देकर इसलिए वहां पर रखा, क्योंकि वे देश के स्वाभिमान के प्रतीक हैं। राष्ट्रपति के पहले वह आदमी साधारण होता है, लेकिन जैसे ही उस पद पर बैठता है, उस पद की गरिमा हमने इतनी महान बनाई है, अपने संविधान के माध्यम से और देश के लोगों के विश्वास के भरोसे, जिसके चलते उसका महत्व बढ़ जाता है और जब वह अवकाश प्राप्त करे, तब उसकी हालत को हम इस हालत में न रख दें जिससे देश स्वयं को शर्मिंदा महसूस करे। इसलिए जो बातें कही गई हैं, कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बाहर रहना कितना कठिन हो सकता है, इसका भी अंदाजा आप नहीं लगा सकते, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि उसको उतना सम्मान तो जरूर मिले, जितने के लायक वह है और ऐसी हालत में अगर आपने इन चीजों को नियंत्रित कर

दिया, तो यह सही नहीं होगा। हर आदमी जब राष्ट्रपति होता है तो वह देश में हर जगह नहीं जाता है, लेकिन जब वह अवकाश प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देश के दूसरे हिस्सों में लोग देखना और सुनना चाहते हैं और ऐसे मौकों पर उसका फायदा देश के लोगों को मिलता है। मुझे लगता है कि उनके आने-जाने का जो मसला है, वह unlimited कर देना चाहिए, उस पर कोई सीमा नहीं लगानी चाहिए कि वे 12 बार ही जाएं या 25 बार ही जाएं। वैसे भी वे सब 75 या 80 के लगभग हो ही जाते हैं, तो ज्यादा कहां जा पाते हैं। सीमा लगाकर, पाबंदी लगाकर हम ख्वामख्वाह देश के छोटेपन का अहसास करा रहे हैं। Ex. MP, MP, मंत्री तो हजार बार आता-जाता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर अपनी इच्छा के अनुसार इस देश में घूम न सके, तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह है कि इनके बारे में थोड़ी उदारता रखनी चाहिए। आप संसद में ले आए, अगर न लाए होते, आपको जो करना था ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर करके कर देते, हमको कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब आप संसद में इस बिल को ले आए तो संसद की भी महानता उसमें दिखनी चाहिए। उस कुर्सी पर आदमी जब बैठ जाते हैं तो हम सब लोग और प्रधानमंत्री भी उसके सामने सिर झुकाकर बैठते हैं। तो उस कुर्सी की भी जो इज्जत हमको रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस उच्च सदन में इस बिल पर हम लोग बहस कर रहे हैं और चूंकि Vice President इस उच्च सदन का सभापति होता है, इसलिए उसके लिए विशेष जिम्मेदारी इस सदन की है कि हम इन बातों के बारे में ख्याल करें। मैं नहीं जानता कि मंत्री जी की सीमाएं क्या हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मंत्री जी समझदार आदमी हैं और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए जो सदन में एक आम सहमति है, उस पर अपनी स्वीकृति दें। उनकी गाड़ी के बारे में जैसे अहलुवालिया साहब ने कहा कि उनके लिए एक गाड़ी और ड्राइवर तो होना ही चाहिए। अब उपराष्ट्रपति जाकर बस की क्यू में थोड़ा खड़ा रहेगा और आपने जो 40,000 रुपए उसको पेंशन दी है, उससे वह क्या पैट्रोल भरवाएगा, क्या गाड़ी चलाएगा और क्या खाएगा? इसका भी तो ख्याल रहिए। 40,000 का कोई महत्व रह गया है उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे रहने वाले आदमी के लिए? तो कुछ सुविधाओं का इंतजाम आप उस व्यक्ति के लिए, राष्ट्र की इज्जत के लिए कीजिए। उपसभापति महोदय, यह दुनिया में हमने देखा है, चाहे वह अमरीका हो, जापान हो या आप कहीं भी चले जाएं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनको वे सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे राष्ट्र की इज्जत, गरिमा परिभाषित होती रहे। उपसभापति जी, मैं इतनी ही गुज़ारिश करना चाहूंगा कि इन बातों का ख्याल रखते हुए वे संशोधन को स्वीकार कर लें, हाउस की सर्वसम्मत राय को स्वीकार कर लें और सरकार को अपनी राय दे दें। हम नहीं चाहते कि कोई अमेंडमेंट लाकर हम इस बिल को रद्दोबदल करें, लेकिन मंत्री जी यदि इसे खुद ही स्वीकार कर लेंगे, तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): उपसभापति जी, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे इस बात का दु:ख है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के allowances के बारे में, उनकी पेंशन के बारे में हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब यहां बिल आया है, तो उस पर विचार करते हुए हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि उनके पद की जो मर्यादा है, वह मर्यादा उनके रिटायरमेंट के बाद भी रहनी चाहिए। अगर उनकी मर्यादा रिटायरमेंट के बाद नहीं होती है, तो हम लोग यह कहेंगे कि उनको जो प्रिविलेज मिलना चाहिए था, वह हम लोगों ने नहीं दिया। यदि आप इसे administrative order से कर देते, तो हम इसके भागीदार नहीं होते, लेकिन हम इस अर्थ में इसके भागीदार हैं कि आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अहलुवालिया जी ने कहा कि Vice President की विधवा को unfurnished मकान मिलेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप unfurnished मकान दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? आप सरकारी मकान दे रहे

हैं, तो unfurnished मकान का क्या मतलब होता है? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पूरे हाउस की राय है कि जो राष्ट्रपति होंगे, उनके ट्रैवल की लिमिट फिक्स नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां हवाई जहाज में सीटें खाली रहती हैं, "जे" क्लास में तो कोई जाता ही नहीं है, एकाध लोग ही रहते हैं। हम सब लोगों की यह राय है, पता नहीं लोक सभा के लोगों की क्या राय आई है, लेकिन हमारी यह राय है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति जी की यात्राओं पर restriction लगा दी, तो उसका भार बुलाने वालों पर पड़ेगा। इस प्रकार हम उनको जो प्रिविलेज देना चाह रहे हैं, वह हम नहीं दे पाएंगे। वैसे भी आप बड़े मेधावी लोगों को, skilled लोगों को राष्ट्रपति बनाते हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोगों को राष्ट्रपति बनाते हैं। राष्ट्र में इनकी जरूरत होती है, हर जगह उनकी जरूरत होती है, इसलिए अगर वे फर्स्ट ए.सी. में जाएंगे, तो वह ठीक नहीं लगेगा। वैसे भी वे बहुत उम्र वाले लोग होते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं आपके इस बिल का समर्थन जरूर करता हूं, लेकिन जो consensus of the House है, वह यह है कि हम लोग उनकी यात्राओं को unlimited कर दें। वे निश्चित रूप से अधिक यात्राओं पर नहीं जाएंगे, कहां जाना है उनको, लेकिन इसको आप unlimited कर दीजिए, यह उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान होगा। वे इस फैसिलिटी का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे unlimited यात्राओं पर जाने वाले लोगों में से नहीं है, उनकी भी अपनी प्रेस्टिज है, लेकिन यह जो आप 6 और 12 यात्राओं वाला क्लाज़ दे रहे हैं, इसको हटाना चाहिए।

उपसभापति जी, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने कहा है कि Vice President की विधवा को unfurnished मकान दिया जाएगा, ऐसा मत करिए। उनकी विधवा के प्रति सम्मान ज़ाहिर करने के लिए यदि आप मकान दे रहे हैं, तो थोड़ा पर्दा भी दे दीजिए, गद्दा भी दे दीजिए ...(**व्यवधान**)... अतः मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे दिग्विजय बाबू, अहलुवालिया जी और दूसरे लोगों के जो विचार हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप air journey को unlimited करिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डा. शकील अहमद: उपसभापति महोदय, इस बिल को प्रस्तुत करते हुए और माननीय सदस्यों की भावना को सुन कर मेरा दिल भी बड़ा भावविह्वल है कि हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनके बारे में देश के लोगों के, हमारे संसद सदस्यों के विचार इतने खुले हुए हैं, इतने अपनत्व लिए हुए हैं, इतने भावनात्मक हैं और उन लोगों को इतने ऊंचे स्थल पर बिठाया है, जो आज हमारे बीच नहीं हैं या आज जो हमारे बीच हैं भी, वे आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं या जो पूर्व में थे, उनके प्रति सम्मान देख कर, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान देख कर, संसद सदस्यों द्वारा जो उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया है, उससे मैं निश्चित रूप से बड़ा प्रभावित हूं। मैं इस मामले में बड़ा खुश हूं कि जो हमसे बड़े हैं, उनके आदर सम्मान में कहीं किसी सदस्य को किसी पार्टी भाव का कोई भेद नहीं है। सभी के मन में उनके प्रति श्रद्धा और आदर है। इसमें जिन चार सदस्यों, नाच्चीयप्पन साहब, अहलुवालिया साहब, दिग्विजय सिंह जी और राजनीति प्रसाद जी, ने भाग लिया है, मैं उनके साथ-साथ सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्य रूप से दो-तीन सुझाव आए हैं और सरकार निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर गौर करेगी। मैं इससे संबंधित लोगों से बातें करूंगा। जो दो-एक बातें आई हैं, मैं समझता हूं कि वे बातें सिर्फ एक भ्रम की वजह से आई हैं। शायद इस पर कुछ ज्यादा चर्चा हुई हैं। इसमें एक बात यह आई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के टूर के लिए बारह ट्रिप बांध दिया गया है, यह बात सही नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पूर्व राष्ट्रपति जी या पूर्व उपराष्ट्रपति जी के टूर पर कहीं कोई binding नहीं है, यह बात पहले से बिल्कुल साफ है। जो binding है, वह यह है कि वे spouse या किसी relative के साथ इस तरह के टूर मात्र बारह ही कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति के व्यक्तिगत टूर में कहीं कोई इस प्रकार की binding नहीं है। यह एक बात साफ हो गई ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद: महोदय, क्या वे अकेले टूर करेंगे ...(**व्यवधान**)...।

डा. शकील अहमद: महोदय, इसमें कोई ज्यादा बहस की बात नहीं है ...(**व्यवधान**)...।

श्री राजनीति प्रसाद: नहीं, नहीं, आपने कहा कि ...(**व्यवधान**)...।

श्री उपसभापति: राजनीति प्रसाद जी ...(**व्यवधान**)...।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, if you see page 2, it says, "In section 3A of the principal Act, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

After ceasing to hold office as President, either on the expiration of his term of office or by resignation of his office, shall be entitled —

to the use of furnished residence (including its maintenance) without payment of licence fee;

to secretarial staff consisting of a private secretary and a peon and office expenses as per actuals, the total expenditure on which shall not exceed twelve thousand rupees per annum; बारह हजार का मतलब है कि एक हजार रुपए प्रति महीना, यह उचित है।

to a telephone and a motor-car free of charge or such car allowance for the remainder of his life as may be specified in the rules and to travel anywhere in India, in a calendar year to twelve single journeys, by the highest class, by air, rail or steamer, accompanied by a companion or a relative."

महोदय, पहली बात तो यह है कि वे अकेले तो टूर पर नहीं जा सकते हैं, उसे companion लेकर तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वह companion कोई भी हो, वह उनकी wife हो सकती है, उनका पीए हो सकता है, उनका पीएस हो सकता है, लेकिन वह उनका attendant ही होता है। companion कोई भी हो सकता है। हमारे secretariat के जो स्टाफ हैं, उनको travelling allowance नहीं मिलता है और आप उनको कुल बारह हजार रुपए ही खर्चा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जब कि बिल में ऐसा ही प्रावधान है।

डा. शकील अहमद: उपसभापति जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि restriction केवल spouse या जो accompany करने वाला है, उसको साथ ले जाने में है। President या Vice-President के केस में, जो मेरी जानकारी है, उसमें ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नहीं, नहीं ...Vice-President का तो Act में है ही नहीं। वह तो administrative order से है।

डा. शकील अहमद: कोई restriction नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नहीं सर, उसमें तो Act में प्रावधान ही नहीं है। Vice-President का Act में प्रावधान नहीं है। Administrative order के माध्यम से present Vice-President को बारह मिलती है और वह administrative ...(**व्यवधान**)... मैं कहता हूं कि उसको इसका हिस्सा बनाइए।

डा. शकील अहमद: हां, आपका यह सजेशन अलग है, लेकिन आज जो हो रहा है, वह हो रहा है कि उस पर कोई restriction नहीं है। Restriction जो है...(व्यवधान)... restriction spouse को या relative को साथ ले जाने पर आता है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नहीं... नहीं...

डा. शकील अहमद: अगर ऐसा कोई confusion है तो वह दूर हो जाएगा। उसके अगर कोई confusion है, तो वह दूर हो जाएगा।

दूसरा, जो एक प्रावधान है, जिस पर मैं समझता हूं कि ज्यादा बहस हुई है, वह है कि furnished मकान नहीं मिलने का, जो deceaed Vice-Presidents हैं, उनके spouse को furnished मकान नहीं मिलने की बात है, वह भी मेरे ख्याल से थोड़ा confusion है, बहुत साफ है, increase in entitlement of accommodation to the

spouse of the deceased Vice-President to furnished Type-VII residence, including its maintenance, without payment of licence fee for the remainder of his or her life.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: किसके बारे में?

डा. शकील अहमद: Vice-President के बारे में।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: Vice-President? सर, मैं आपका Statement of Objects and Reasons पढ़ रहा हूं। आप लिखकर क्या लाए हैं, मालूम नहीं, किंतु यह जो बिल आपने हमें circulate किया है, उसके statement of Objects and Reasons का पैराग्राफ 3 पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 3 पर आप पढ़िए। "The spouse of a deceased Vice-President is entitled to an unfurnished accommodation without maintenance. In order to maintain parity in extension of various facilities to the spouses of deceased Presidents, it is proposed to make the spouse of a deceased Vice-President also entitled to furnished residence including its maintenance."

डा. शकील अहमद: सर, हम लोगों ने increase in entitlement of accommodation of a former Vice-President from existing Type-VI to Type-III भी किया है।

श्री उपसभापति: तो यह कहां है? उनका कहना है कि यह बिल में नहीं है। यह कहां से है?

श्री दिग्विजय सिंह: मान लें हम लोग?

डा. शकील अहमद: हां, बिल्कुल।

श्री दिग्विजय सिंह: उसको मान लें, तो खत्म हुई बात!

डा. शकील अहमद: जो मैं कह रहा हूं, वह है।

श्री उपसभापति: ठीक है।

डा. शकील अहमद: तो इसलिए कि ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आपके इस बिल में नहीं है।

श्री उपसभापति: वह पहले ओरिजिनल बिल में होगा।

डा. शकील अहमद: वह ओरिजिनल बिल में होगा। यह official हो सकता है, मगर जो ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आप कह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं।

श्री उपसभापति: पार्लियामेंट में कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, तो आप मान लीजिए।

डा. शकील अहमद: मगर अभी जो हमारे पास है, उसमें बहुत साफ है कि हमने Type VII से Type VIII किया है। जो former Vice-Presidents हैं, उनका और जो उनके spouse है, जो deceased Vice-President हैं, उनके spouse के लिए जो furnished Type-VI residence, including maintenance, without payment of licence fee for the remainder of his or her life. तो यह क्लीयर है। अगर कहीं कोई confusion है, तो यह दूर होना चाहिए। तो ये दो बातें हैं, जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई।

6th Pay Commission की बात हमारे किसी माननीय सदस्य ने कही थी, इसका 6th Pay Commission से कुछ लेना-देना नहीं है। यह बिल्कुल हमारे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, जो हमारे राज्यपाल हैं, यह जो बढ़ाने का है, वह राष्ट्रपति जी का है, उपराष्ट्रपति जी का पेंशन का है और दूसरा मामला है, और राज्यपालों का पेंशन का नहीं है, उनकी सैलरी का है। उनके पेरेंट्स को, एक तरह से जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उनको फैमिली में include

किया गया है। तो हम समझते हैं, हम सदन को धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेषकर जो हमारे चारों सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और पूरे सदन ने, और यह बात सुनकर सचमुच बिल्कुल अच्छा लगा और ठीक कहा कि राजेन्द्र प्रसाद जी जब यहां से रिटायर होकर गए, तो पटना के सदाकत आश्रम में वे काफी समय रुके। गुलज़ारी लाल नन्दा जी की मिसाल दी दिग्विजय सिंह जी ने, निश्चित रूप से ये ऐसे लोग हैं, जिनकी तरफ देश हमेशा आदर और सत्कार की नज़र से देखता है। जो आज के हमारे देश को दिशानिर्देश देने वाले राष्ट्रपति हैं, जो अध्यक्ष हैं इस सदन के उपसभापति - उपराष्ट्रपति। इनको जो सम्मान दिया जाता है - स्वाभाविक रूप से हर सम्मान पैसे और सुविधा से नहीं होता है - मन और आदर का जो भाव इस सदन ने दर्शाया है, उसको हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं। आज सरकार यह जो बिल लायी है, इसके संबंध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उनको हम निश्चित रूप से सरकार के सामने रखेंगे। कई विभागों के बारे में इसमें राय है। ये जो तीनों बिल आए हैं, इनमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से - क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है, घर का मामला है - वित्त मंत्रालय से तथा सब मंत्रालयों से समन्वय स्थापित करके तीनों बिल लाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों बिलों को यह सदन सर्वसम्मति से पास करेगा। धन्यवाद।

MR. DEPUTY-CHAIRMAN: First, I shall put the President's Emoluments and Pension (Amendment) Bill, 2008 to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the President's Emoluments and Pension Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. SHAKEEL AHMAD: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the Vice-President's Pension (Amendment) Bill, 2008 to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Vice-President's Pension Act, 1997, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. SHAKEEL AHMAD: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the Governor's (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2008 to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Governor's (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting

Formula and the Title were added to the Bill.

DR. SHAKEEL AHMAD: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 a.m.

The House then adjourned at forty-four minutes past four of the clock
till eleven of the clock on Tuesday, the 16th December, 2008.